न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 58 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 206)	05.11.2024	14.10.2025

गोलू आ. हीरालाल जाति कीर,
निवासी ग्राम ख्यावदा, तहसील रायथल, जिला बून्दी (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल आ. चेतराम जाति कीर, निवासी ख्यावदा जिला बून्दी
2. जगदीश आ. बिरधीलाल जाति गुर्जर, निवासी ख्यावदा जिला बून्दी
3. द्वारका बाई पुत्री चेतराम जाति कीर, निवासी ख्यावदा, तह. रायथल हाल निवास तीरथ, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. नन्दू बाई पुत्री चेतराम जाति कीर, निवासी ख्यावदा, तह. रायथल हाल निवास बालिता, तहसील लाडपुरा, जिला बून्दी
5. नन्दलाल आ. चेतराम जाति कीर, निवासी ख्यावदा जिला बून्दी
6. रामकल्याण आ.बिरधीलाल जाति गुर्जर, निवासी ख्यावदा जिला बून्दी
7. सुगना पुत्री हीरालाल जाति कीर, निवासी ख्यावदा जिला बून्दी
8. संतोष बाई पुत्री चेतराम जाति कीर, निवासी ख्यावदा, तह. रायथल हाल निवास रंगपुर, तहसील लाडपुरा, जिला बून्दी
9. अमरलाल आ. माधो जाति कीर, निवासी ख्यावदा, तह. रायथल हाल निवास के0पाटन तहसील के0पाटन, जिला बून्दी
10. सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री रणवीर सिंह आसोलिया, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 5 स्वयं उपस्थित।
रेस्पोडेन्ट सं. 2, 6 की ओर से श्री गिरिराज गोचर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4, 7, 8 की ओर से श्री शिवराज डोई, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 01.10.2021 ग्राम ख्यावदा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार हीरालाल पुत्र चेतराम जाति कीर के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 58/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/206 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालतेहुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम ख्यावदा, हाल तहसील रायथल, जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 648 रकबा 1.0458 हैक्टेयर जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रेस्पो.सं.1 लगायत 8 के नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में 1/12 हिस्सा मृतक हीरालाल आ. चेतराम के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा सं. 560 रकबा 0.0461 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 562 रकबा 0.4922 हैक्टेयर वाकेग्राम ख्यावदा जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 के नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में 1/12 हिस्सा मृतक हीरालाल आ. चेतराम के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा सं. 732/14 रकबा 0.7075 हैक्टेयर वाकेग्राम ख्यावदा जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 के नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में 1/6 हिस्सा मृतक हीरालाल आ. चेतराम के नाम दर्ज थी। उक्त तीनों खातों की कृषि भूमियों में स्थित सहखातेदार हीरालाल के देहान्त के बाद रेस्पो.सं.10 द्वारा रेस्पो.सं.7 सुगना पुत्री हीरालाल के नाम मृतक खातेदार के हिस्से पर नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 01.10.2021 के आधार पर दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मातहत राजस्व कर्मचारियों के द्वारा मृतक खातेदार हीरालाल के वारिसान का सही सजरा नहीं बनवाने व रिकार्ड प्राप्त नहीं करने की भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट वर्तमान में ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में निवास कर रहा है, जो मृतक खातेदार हीरालाल का विधिक पुत्र एवं उत्तराधिकारी है। हीरालाल के निधन क पश्चात पगडी का दस्तुर भी अपीलांट के ही किया गया है। अपीलांट के सभी दस्तावेज में पिता का नाम हीरालाल दर्ज है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जानकारी किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का

जिला कलेक्टर, बून्दी

अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण आदेश की जानकारी सर्वप्रथम हल्का पटवारी से दिनांक 21.10.2024 को हुई, तत्पश्चात अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 25.10.2024 को नकल प्राप्त हुई। जिसकी नकल प्राप्त होने से पूर्व की दूरी अवधि न्यायहित में मुजरा दिए जाने योग्य होने से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। जिसके लिए अलग से दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलांट का नाम मृतक हीरालाल के हिस्से की कृषि भूमि में वारिसान के रूप में दर्ज करवाया जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2, 6 एवं अभिभाषक रेस्पो.सं. 3, 4, 7, 8 द्वारा बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुये अपील स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 01.10.2021 की दिनांक 21.10.2024 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर दिनांक 29.10.2024 को हस्तगत अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम ख्यावदा के खाता संख्या 165, 166 एवं 197 में स्थित कृषि भूमि में हीरालाल पुत्र चेतराम जाति कीर क्रमशः 1/12, 1/12 एवं 1/6 हिस्से पर सहखातेदार दर्ज रेकार्ड था। खातेदार हीरालाल के फोत हो जाने पर उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 01.10.2021 उसके वारिस पुत्री सुगना के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि अपीलांट मृतक खातेदार हीरालाल का विधिक पुत्र होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण में उसका नाम वारिसान के रूप में अंकित नहीं किया गया, इसलिए उक्त नामान्तकरण दुरूस्त किया जावे। रेस्पो.सं. 1 लगायत 8 को अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर, बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट गोलू के आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक परीक्षा–2015 की अंकतालिका एवं हीरालाल की मृत्यु का शोक सन्देश पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें गोलू के पिता का नाम हीरालाल अंकित है।

यहां पर यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि रेस्पो.सं. 1 लगायत 8 को अपीलांट गोलू के मृतक खातेदार हीरालाल का पुत्र होने से इन्कारी नहीं है तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी पर मृतक खातेदार के विधिक वारिस पुत्र एवं पुत्री का हित निहित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार हीरालाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध प्रकट होता है। प्रकरण में विधिक वारिसान की जांच एवं उनकी सुनवाई का अभाव पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार हीरालाल के विधिक वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 880 दिनांक 01.10.2021 (स्वीकृत दिनांक 12.10.2021) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रायथल को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर आदेश दिये जाते है कि मृतक खातेदार हीरालाल के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाकर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की नियमान्तर्गत कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 14.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी